आज़ादी का अमृत महोत्सव

# भा.कृ.अ.प.–राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधानकेन्द्र, बीकानेर
# I.C.A.R.- NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL, BIKANER

फा.सं. : राउअनुके/प्रशा/स्था/VI(06)Allotment of Shop/2019/ 1865-74 दिनांक : 23.03.2023

## कार्यालय आदेश

**विषयः केन्द्र परिसर में दुकानों का तीन माह अनुबंध वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 30.06.2023 तक) के आधार पर (किराये पर) आवंटन का नवीनीकरण बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत केन्द्र परिसर में आवंटित दुकानों का नवीनीकरण हेतु निम्नलिखित दुकानदारों से प्राप्त आवेदन को केन्द्र के सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया गया है। अतः केन्द्र परिसर में निम्नलिखित दुकानों का तीन माह का किराया अनुबंध की अवधि वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 30.06.2023 तक) के लिए जो दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी हैं। अतः सम्बंधित दुकानों के लिए किराए अनुबंध के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण अनुसार देय राशि नई दरों के अनुसार का बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट आईसीएआर यूनिट एनआरसीसी, बीकानेर के नाम से बनाकर अतिशीघ्र परन्तु 31.03.2023 तक कार्यालय में जमा करवाएं। साथ ही नये अनुबंध अवधि वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 30.06.2023 तक) लिए नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अग्रीमेंट (Agreement), पंजीकृत सेन्ट्रल नोटेरी से सत्यापन करवाते हुए 31.03.2023 तक कार्यालय में प्रस्तुत करें।

| क्र.सं. | फर्म का नाम | केन्द्र में आवेदन प्राप्ति की तिथि | दूकान संख्या | गत वर्ष का किराया प्रतिमाह | नवीनीकरण की अवधि | पूर्व मासिक किराया पर + 10% राशि के साथ तीन माह का किराया | नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अग्रीमेंट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स जैमिनी कलाकार आर्ट्स, 3-4 सरदार हॉल, नगर निगम कार्यालय के पास, बीकानेर | क्र.सं. 808 दिनांक 23.02.2023 | "बी" **(B)** | Rs. **12,947/-** | 01.04.2023 से 30.06.2023 | **Rs. 12947/- x 10% Rs. 1294.7/- = Rs. 14,241.7/-** तीन माह का किराया **Rs. 42,725.1/-** | **Rs. 500/-** |
| 2. | मैसर्स डेजर्ट हैंडीक्राफ्ट, विनायक हॉऊस, पुगल डेरे के पास पुराणी गिन्नाणी, बीकानेर | क्र.सं. 807 दिनांक 21.02.2023 | "सी" **(C)** | Rs. **19,965/-** | 01.04.2023 से 30.06.2023 | **Rs. 19,965/- x 10% Rs. 1996.5/- = Rs. 21961.5/-** तीन माह का किराया **Rs. 65,884.5/-** | **Rs. 500/-** |
| 3. | मैसर्स हस्तशिल्प, ए सोसाईटी फार हेंडी क्राफ्टस, ई-35, बी, खतुरिया कालोनी, बीकानेर | क्र.सं. 801 दिनांक 21.02.2023 | "ई" **(E)** | Rs. **30,371/-** | 01.04.2023 से 30.06.2023 | **Rs. 30,371/- x 10% Rs. 3037.1/- = Rs. 33408.1/-** तीन माह का किराया **Rs. 1,00,224.3/-** | **Rs. 500/-** |

उपरोक्त संशोधित दरें दिनांक 01.04.2023 से लागू होगी तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। सम्बंधित दुकानदार/संस्था 31.03.2023 तक अवश्यक रूप से तीन माह का किराया राशि एवं नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट जमा करावें तथा पूर्व में जारी नियम एवं शर्तें यथावत रहेगें।

यह आदेश निदेशक महोदय की अनुमति प्राप्त कर जारी किया गया है।

(अखिल दुकवाल)
प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी/Administrative Officer
भाकृअप-राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र
ICAR-National Research Centre on Camel
बीकानेर/Bikaner

प्रतिलिपिः–

1. मैसर्स जैमिनी कलाकार आर्टस, 3–4 सरदार हॉल, नगर निगम कार्यालय के पास, बीकानेर।
2. मैसर्स डेजर्ट हैंडीक्राफ्ट, विनायक हॉऊस, पुगल डेरे पास पुराणी गिन्नाणी, बीकानेर।
3. मैसर्स हस्तशिल्प, ए सोसाईटी फार हेंडी क्राफ्टस, ई–35,बी, खतुरिया कॉलोनी, बीकानेर।
4. प्रभारी सम्पदा इकाई, रा.उ.अनु.केन्द्र, बीकानेर।
5. प्रभारी सुरक्षा इकाई, रा.उ.अनु.केन्द्र, बीकानेर।
6. प्रभारी भण्डार, रा.उ.अनु.केन्द्र, बीकानेर।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, रा.उ.अनु.केन्द्र, बीकानेर।
8. वित्त एवं लेखाधिकारी, रा.उ.अनु.केन्द्र, बीकानेर।
9. व्यैक्तिक सहायक–निदेशक, रा.उ.अनु.केन्द्र, बीकानेर।
10. दिनेश मुजांल,सी.टी.ओ. – कृपया उपरोक्त आदेश को केन्द्र की वेब साइट पर अपलोड करें।

# एग्रीमेंट (इकरारनामा)

केन्द्र के पत्र रा.उ.अनु.के./प्रशा./स्था./VI(06)Allotment of Shop/2019/708-716 दिनांक 21.07.2019 एवं .................. दिनांक .................. फर्म ......................................... को दुकान सं. ........... को रुपये ................... प्रतिमाह तीन माह के लिऐ अनुबंध के आधार पर किराये पर लिए जाने के सम्बन्ध में एग्रीमेंट / शर्ते निम्नप्रकार से है |

1. आवंटन की अवधि दिनांक 30.06.2023 तक ही रहेगी।
2. यह कि दोनों पक्षों की तरफ से 30 दिनों की पूर्व लिखित सूचना द्वारा आवंटन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। हालांकि निदेशक महोदय को बिना किसी कारण बताए किसी भी समय किसी भी आवंटी के अनुबंध को समाप्त / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
3. फर्म / अनुबंधकर्ता को केंद्र में किसी भी जानवर को रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को केंद्र में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फर्म / अनुबंधकर्ता को दुकान में कार्य निष्पादन हेतु रखे जाने वाले प्रतिनिधियों / कर्मचारियों की पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी महोदय से लेनी होगी | आवश्यकता होने पर उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी स्वयं फर्म/अनुबंध कर्ता की होगी।
4. केन्द्र परिसर में धूम्रपान, नशीले पदार्थो एवं शराब का सेवन वर्जित है। अत: फर्म / अनुबंधकर्ता एवं उसके प्रतिनिधि को इसका पूर्णरूप से पालन करना होगा।
5. भारत सरकार द्वारा डीजिटीलाईजेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है अत: फर्म के पास डिजिटल भुगतान हेतु पोश मशीन / पे टी एम अथवा अन्य डिजिटल भुगतान के लेन देन की सुविधा होनी चाहिए।
6. फर्म / अनुबंधकर्ता द्वारा आवंटित दुकान को खोलने एवं बंद करने का समय प्रात कार्यालय के खुलने तथा सांय पर्यटकों के लिए निर्धारित अवधि के आधे घंटे बाद तक रहेगा।
7. फर्म / अनुबंधकर्ता का आवंटित दुकानों में उष्ट्र एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उष्ट्र उत्पाद सामानों, हस्तकला, हस्तशिल्पी, एवं राजस्थानी परम्परा के अनुसार (Traditional handicraft items) बने हुए सामान, वस्त्र, इत्यादि का विक्रय के लिए प्राथमिकता देनी होगी। आवंटी द्वारा विक्रय किए जाने वाले सामानों का प्रदर्शन दुकान के बाहर गैलेरी में नहीं किया जायेगा।
8. फर्म / अनुबंधकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म / संस्था को सबलेट नहीं करेगा।
9. फर्म / अनुबंधकर्ता का जो सामान केंद्र द्वारा पार्लर पर विक्रय किए जाते है, ऐसे सामानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के खाने पीने के सामानों का विक्रय नही किया जावेगा |
10. फर्म / अनुबंधकर्ता को दुकान किराया तीन माह का एक मुश्त चैक / डी. डी. के माध्यम से अग्रिम, केन्द्र के कैशियर के पास जमा करना, बिजली खर्च केन्द्र की सम्पदा इकाई के बताए अनुसार मीटर रीडिंग के आधार पर अलग से मासिक जमा करना होगा।
11. फर्म / अनुबंधकर्ता केन्द्र की आवंटित दुकान एवं क्षेत्र की संपत्ति के संबंध में सभी सुरक्षा उपाय स्वयं करेगा और केन्द्र चोरी, आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।
12. फर्म / अनुबंधकर्ता को जिस उदेश्य के लिए अनुबंध के आधार पर दुकान आवंटित की गई है, उससे संबधित ही सामान का विक्रय किया जावेगा, जिसकी दर बाजार दरों से अधिक नही होनी चाहिए, बाजार दर से अधिक वसूलने पर उसका अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
13. केन्द्र द्वारा अनुसंधान के साथ साथ पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। पर्यटन के उद्देश्य से केंद्र में भारतीय एवं विदेशी सैलानी का आवागमन बना रहता है। जिसके लिए फर्म / अनुबंधकर्ता एवं उसके प्रतिनिधि द्वारा ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार और स्वभाव सुनिश्चित किया जावेगा। साथ ही किसी भी सैलानी के साथ धोखाधड़ी (चीटिंग) नही की जावेगी।
14. फर्म / अनुबंधकर्ता जिन कर्मचारी प्रतिनिधियो को आवंटित दुकानों पर कार्यरत रखेंगे उनकी आईडी प्रस्तुत करनी होगी अगर कर्मचारी बदलते हो तो उसकी सुचना एवं नवीन आईडी कार्ड कार्यालय में तुरंत प्रभाव से प्रस्तुत करना होगा |

लगातार ..02..

15. फर्म / अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंध के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी एवं उसका अनुबंध निरस्त करते हुए कालीसूची (**Blacklist**) करते हुए भविष्य में दुकान आवंटन के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
16. फर्म / अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट एवं उपभोज्य सामान इत्यादि के खराब होने की अवस्था में अपने स्तर पर प्रतिस्थापन / बदलने की व्यवस्था करेगा।
17. फर्म / अनुबंधकर्ता दुकान और परिसर को साफ सुथरी स्थिति में बनाए रखेगा एवं निदेशक की पूर्व पूर्व लिखित अनुमति के बिना उसे आवंटित की गई दुकान में कोई संशोधन और परिवर्तन नहीं करेगा।
18. फर्म / अनुबंधकर्ता द्वारा स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा केंद्र पर उपस्थित पर्यटकों / विदेशी सैलानी को गाइड का कार्य नहीं करेगे।
19. फर्म / अनुबंधकर्ता द्वारा सात दिवस के भीतर नियमानुसार नॉन जुडीसीअल स्टंप पेपर पर अनुबंध करना होगा।
20. फर्म / अनुबंधकर्ता को दुकान आवंटन के पश्चात दुकान में फर्नीचर इत्यादि की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
21. फर्म / अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंधित अवधि में आवंटित दुकान अथवा केन्द्र की संपत्ति को किन्ही कारणों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की क्षति पंहुचाई जाती है, तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा एवं निदेशक महोदय को अनुबंधकर्ता से केंद्र की संपत्ति को किए गए ऐसे नुकसान की लागत को वसूलने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
22. फर्म / अनुबंधकर्ता को केन्द्र पर प्रचलित नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा | केन्द्र / पर्यटन हित में सक्षम अधिकारी द्वारा तय अन्य नियम व शर्ते जो भी आवश्यक एवं उपयोगी हो, का पालन फर्म / अनुबंधकर्ता को करना होगा।
23. दुकाने आवंटित किए गए दुकानदारों का किसी भी सामान या वस्तु के खरीदने - बेचने का किसी भी प्रकार का आपसी विवाद स्वीकार्य नहीं होगा, ऐसा होने पर दुकानदार / दुकानदारों का तुरंत अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

उपरोक्त नियम व शर्तों का मैंने / हमने भलीभांति अध्ययन / पढ़ लिया है, जो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है तथा मैं / हम पालन करने हेतु वचनबद्ध है | किसी भी नियम व शर्तों अथवा अन्य नियम व शर्तों जो केन्द्र हित में हो के उलंधन की स्थिति में केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही हमें स्वीकार है एवं केन्द्र का निर्णय हमें पूर्ण रूप से मान्य है |

1. गवाह
2. गवाह

एग्रीमेंट कर्ता
हस्ताक्षर ....................................
(फर्म / प्रतिनिधि का नाम .............................
पत्ता .........................................
मोबाइल नं. ...................................

**स्वीकार कर्ता**